न्यायालय, श्री राहुल कुमार, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश,तृतीय,समस्तीपुर।

बी0पी0–756/2026

(पटोरी थाना काण्ड सं0–124/2026, धारा–115(2), 126(2), 117(2), 109(1), 303(2), 352, 3(5) बी0एन0एस0 से उत्पन्न)

आदेश की तिथिः 07.07.2026

उपस्थितः आवेदक की ओर से– श्री गौरीशंकर मिश्र, विद्वान अधिवक्ता

अभियोजन की ओर से–श्री शिवशंकर प्रसाद, विद्वान अपर लोक अभियोजक

काराधीन अभियुक्त **मो0 सलामत, पिता–मो0 अयूब,** जो पटोरी थाना काण्ड सं0–124/2026, धारा–115(2), 126(2), 117(2), 109(1), 303(2), 352, 3(5) बी0एन0एस0 के अन्तर्गत दिनांक 01.06.2026 से काराधीन है, की ओर से दाखिल जमानत आवेदन पर उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना।

आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत आवेदन प्रचालित करते हुए निवेदन किया गया कि आवेदक निर्दोष है, उसने कोई अपराध कारित नही किया है। उसके विरूद्व लगाया गया आरोप मनगढ़ंत, असत्य एवं निराधार है। उसकी ओर से पूर्व में ए0बी0पी0–1324/2026 दाखिल किया गया था परन्तु सुनवाई के क्रम में ही पुलिस द्वारा उसे गिरफ्तार कर लिया गया जिस कारण उसके द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन वापस ले लिया गया, उसके पश्चात उसकी ओर से वर्तमान जमानत आवेदन को छोड़कर कोई अन्य अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन, मान्नीय उच्च न्यायालय या किसी अन्य वरीय न्यायालय में न तो दाखिल किया गया है और न ही लम्बित है। विद्वान अधिवक्ता का आगे कथन है कि उभय पक्ष के बीच पलटा मुकदमा है तथा सह अभियुक्त मो0 तसलीम की पत्नी के द्वारा किये गये मुकदमा से बचने एवं दबाव देने की नियत से सूचक द्वारा यह झुठा मुकदमा दाखिल किया गया है। आरोपित धाराएँ उसके विरूद्व नहीं बनती है। उसके विरूद्व पूर्व का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक दिनांक 01.06.2036 से काराधीन है। अतः प्रार्थना करते हैं कि आवेदक को जमानत पर मुक्त करने का आदेश देने की कृपा की जाए।

विद्वान अपर लोक अभियोजक के द्वारा जमानत का विरोध किया गया।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख तथा केस डायरी का अवलोकन किया। इस वाद की प्राथमिकी सूचक मो0 सकिल उर्फ नेपाली द्वारा थानाध्यक्ष, पटोरी को दिये गये टंकित आवेदन के आधार पर आवेदक अभियुक्त एवं अन्य के विरूद्व संस्थित किया गया है। प्राथमिकी के अनुसार अभियुक्तगण के विरूद्व रास्ते पर पानी गिराने को लेकर हुए विवाद के कारण सूचक तथा उसके पुत्र को फरसा से प्रहार

कर जख्मी करने तथा उसके घर में घुसकर सोना एवं चॉदी का जेवरात तथा पचास हजार रूपये नगद लुट लेने का आरोप है। अभिलेख पर दाखिल केसडायरी की कंडिका–30 में जख्मी मो0 नवी एवं मो0 शकील का जख्म प्रतिवेदन है जिसमें चिकित्सक ने दोनो जख्मियों का जख्म कड़े एवं भोथड़े से कारित साधारण प्रकृति का पाया है। कंडिका–6 में साक्षी रेहाना खातुन ने अपने बयान में कहा है कि उभय पक्ष आपस में पट्टीदार है तथा बॅटवारे को लेकर दोनो के बीच झगड़ा हुआ है। इस साक्षी के द्वारा गहना–जेवर एवं नगद रूपये लेने की बात का समर्थन नहीं किया गया है। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि उभय पक्ष के बीच एक ही दिन की घटना को लेकर पलटा मुकदमा है तथा आवेदक दिनांक 01.06.2026 से काराधीन है। केसडायरी की कंडिका–33 के अनुसार आवेदक अभियुक्त के विरूद्व पूर्व का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

उपरोक्त विवेचित परिस्थितियों में अभियोग की प्रकृति एवं कारावधि तथा आवेदक अभियुक्त की स्वच्छवृत को ध्यान में रखते हुए आवेदक **मो0 सलामत** को मो0 दस हजार रूपये के बंध–पत्र एवं समान राशि के दो प्रतिभूति दाखिल करने पर धारा–480(3) बी0एन0एस0एस0 में वर्णित शर्तो के अन्तर्गत जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है।

लेखापित

जिला एवं अपर सत्र न्या0,तृतीय